प्रेषक

अतिरिक्त मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार,

न्याय प्रशासन विभाग।

सेवा में

निदेशक अभियोजन, हरियाणा, पंचकूला ।

यादी कमांक:- 4/1/2008-2जे0जे01 दिनांक चण्डीगढ़ २०/०3/18

विषय:-

Submission of Annual Administrative Report of the Department, before the council of ministers.

उपरोक्त विषय पर आपके कार्यालय के पत्र क्रमांक ए.पी. (3)-18/2421 दिनांक

28.02.2018 के संदर्भ में।

आपको वर्ष 2016-17 की प्रशासनिक रिपोर्ट की हिन्दी एवं अंग्रेजी की प्रति आगामी

कार्यावाही हेतू भेजी जाती हैं।

Orangino 1919

अधीक्षक-जेल एवं न्यायिक-ा, कृतेः अतिरिक्त मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार, न्याय प्रशासन विभाग

CONFIDENTIAL

MEMORANDUM

Minister -in-Charge

Chief Minister, Haryana

Administrative Secretary

Additional Chief Secretary to Government, Haryana, Administration of Justice Department.

Subject:-

Annual Administrative Report of the Prosecution Department, Haryana for year 2016-17 alongwith its review and critique.

The Annual Administrative Report of the Prosecution Department, Haryana for the year 2016-17 alongwith its Review and Critique is submitted for consideration and approval by the Council of Ministers. After approval, the report and review will be got published in the Haryana Government Gazettee.

- 2. This memorandum is placed before the Council of Ministers in compliance with Government instructions contained in Haryana Government U.O. 16/22/2005-4PP, dated 04-05-2005.
- 3. Prior approval of Hon'ble Chief Minister has been obtained for placing this matter before the Council of Ministers.

Davier

(S.S. Prasad)

Additional Chief Secretary to Government, the Haryana, Administration of Justice Department.

Dated, Chandigarh the 28.12.2017



CRITIQUE ON THE ANNUAL ADMINISTRATIVE REPORT OF PROSECUTION DEPARTMENT, HARYANA FOR THE YEAR 2016-2017.

The Directorate is supervising the Prosecution of all criminal cases by exercising control over the performance of the District Attorneys and their staff posted in various districts of the State. The successful Prosecution of criminal cases depends upon many factors quite a few of which are beyond the control of prosecution Agency. However, still the Prosecution Department has been making all out efforts to ensure effective prosecution of all criminal cases, which are put in by the Police in various courts of the State.

In order to ensure better co-ordination between the Police and Prosecution Agency, a Committee was constituted by the Government under the Chairmanship of the Deputy Commissioner, Superintendent of Police and District Attorney are its members. The Committee is required to meet at least twice a month or more frequently when it is required.

The Government has also revived the District Level Monitoring Committee in order to expedite the trial of criminal cases. This Committee is required to meet once in a month under the Chairmanship of District & Session Judge and the District Magistrate, Chief Judicial Magistrate, Superintendent of Police, District Attorney, Superintendent of Jail, District Probation Officer are its members.

ODERODE!

Dated, Chandigarh the 28.12.2017

(S.S. Prasad)
Additional Chief Secretary to Government, Haryana,
Administration of Justice Department.



ADMINISTRATIVE REPORT OF PROSECUTION DEPARTMENT, HARYANA, FOR THE YEAR 2016-2017.

INTRODUCTION

The Prosecution Agency which was under the control of the Police Department was separated in the year 1974, as a sequel to the enforcement of the Code of Criminal Procedure in 1973. Consequently, the Directorate of prosecution came into existence with effect from 01.04.1974. The Assistant District Attorney (now Designated as Deputy District Attorney) as well as the District Attorney who were under the Administrative Control of the Legal Remembrancer & Secretary to Govt. Haryana, Law & Legislative Department were put under the administrative control of the Directorate of Prosecution. Similarly, the cadres of Prosecuting Deputy Superintendent of Police, Prosecuting Inspectors and Prosecuting Sub Inspectors, which were under the Administrative Control of the Police Department were abolished and incumbents were absorbed in the Directorate of Prosecution as District Attorneys, Additional Public Prosecutors (diminishing cadre) and Assistant District Attorney, Grade-II, respectively. The Directorate of Prosecution thus started functioning since 1st April, 1974.

ESTABLISHMENT

The charge of the department during the period under report was held by Sh. P.K. Dass, I.A.S. from 01.04.2016 to 17.05.2016 and Sh. Ram Niwas, I.A.S. from 18.05.2016 to 31.03.2017 Home Secretary respectively.

The charge of the office of the Director of Prosecution, Haryana, during the period under report was held by Sh. Narsher Singh.

The Directorate controls Law Officers which includes District Attorneys, Deputy District Attorneys, Assistant District Attorneys in the State who conduct civil and criminal cases in the courts and tender legal advice to various Government Departments.

The Assistant District Attorneys/Assistant Public Prosecutors in addition to their work in the Judicial Courts also attend the work of the courts of Executive Magistrates.

Part 'B' Law Officers in the Legal Cell in various Departments.

The Directorate of Prosecution also controls the cadre of Law Officers in the Legal cell posted in various departments of the State to cope with the legal work in these departments. The number of officers posted in the department were as per detail given below:-

1. District Attorneys : 32

2. Deputy District Attorneys : 72

3. Assistant District Attorneys : 99

Some of the Law Officers from the Directorate were also sent on deputation to various Corporations, Boards, etc.



List of Law Officers in the Districts

-Table given below indicates the number of Courts of Sessions Judges, Additional Sessions Judge and other Judicial Magistrate vis-à-vis the number of Law officers as on

31.3.2016 who attended to the criminal work in the various courts of the Districts.

	11		10			9			8		7		6			5			4	(J)					2		1	Sr.No.
Pehowa	Kurukshetra	Guhla	Kaithal	Indri	Assand	Karnal	Safidon	Narwana	Jind	Bahadurgarh	Jhajjar	Hansi	Hisar	Sohna	Pataudi	Gurgaon	Ratia	Tohana	Fatehabad	Faridabad	Tosam	Siwani	Loharu	Ch. Dadri	Bhiwani	Naraingarh	Ambala	Name of the District. Sub Divisions
	_	1	_			-	L	1		ı		1	1	ı	1		-	1		_	T.	1	1	ì		-	1	No. of Courts of Distt. & Sessions
ĺ	4		(J)	L	-	9	1	•	O.	ı	6		6	1	ı	8	ī	ı	ယ	7	1	•	-	1	5	1	4	No. of Courts of the Addl. Distt. Judges
2	9		8		2		2	درن	U ₁	4	6	4	10	دی	w	20	1	2	4	18	_		1	4	8	2	13	No. of judicial Courts
1		t		1	I		1	1		1	,	t		t	I		I	1			1	1	1	1		1		No. of District Attorneys
1	C.S.	i i	S.) 1	,	9) i	ı	4		4	. 1	6	1	t	o.		1	2	6	1	1	t	1	4	1	5	No. of Deputy District Attorneys
2		1) (1	•	~ 8	0 -	2) (ں د		4	0	0	2	20	20	0		12	12	-			0	0	7	No. of Assistant District Attorneys

		21				20			19		18		17			16		15		14			13		12	
Total	Bilaspur	Yamunanagar	Kharkhoda	Ganaur	Gohana	Sonipat	Ellanabad	Dabwali	Sirsa	Meham	Rohtak	Kosli	Rewari	Hodal	Hathin	Palwal	Samalkha	Panipat	Kalka	Panchkula	Kanina	Mohindergarh	Narnaul	Ferozpur Jhirkha	Mewat at Nuh	Sahabad
21	3	-	t	1		-	i.			1		t	1		1		1		1	1	ı	1		1		1
110	1	3		1	-	6			5	1 1	~) +	O	1 1	1	U	1	4		J.) 1		J	1	4	. 1
257	0	2 4			1) ×	0 1	J (.	> -	J -	4			0	2 1	2 0		-	11	3 0	n -	4 4	0	1	4 4	7
21				,		-	-	1		- 1		- '		_ 1	1			-		1	4		1	- A 1		1
91			A		1	. 4	A		ı	ر در		6		A i			4	1	4		س			^		
190		> در	,	-	2	ې در	~ «	0		7		7	2	7			5	1	10	2	7	0	2	2		4

CONDUCT OF CRIMINAL CASES

Part 'A' Total cases

The District Attorneys and Deputy District Attorneys conducted criminal cases in the court of Sessions Judge and Additional Sessions Judge respectively whereas the Assistant District Attorneys conducted criminal cases in the courts of Judicial Magistrates. During the period under report, total number of criminal cases conducted and prosecuted by Law Officers in Sessions Courts and Lower Courts are given As Appendix "A".

The main reasons for the acquittal in the cases are as follows:-

(i) Resiling of witnesses

One of the main reasons for acquittal of accused in the cases is that in a considerable number of cases, the material witnesses resile from their earlier statements during trial. Besides, there are other cases in which not all but some of the material witnesses turn hostile causing serious dent in the prosecution cases as a result of which majority of these cases result into acquittal..

(ii) Poor investigation of cases.

To secure conviction, the prosecution has to prove its case beyond the reasonable doubt. A thorough investigation and presenting the credible evidence to the Public Prosecutor to fight the case is the responsibility of the investigating agency. However, it is generally found that in considerable number of cases, the investigating agency fail to collect sufficient and cogent evidence to connect the accused with the crime. In a number of cases, the Police in spite of ample opportunity, fails to join independent witnesses at the time of recovery which creates doubt in the mind of the court. Likewise, to secure conviction in the cases based on circumstantial evidence, the prosecution has to fully establish the circumstances from which conclusion of guilt is to be drawn in a way that all the facts so established are consistent only with the hypothesis of guilt and they do not exclude any other hypothesis except the one sought to be proved. Further the circumstances on which reliance has been placed are conclusive in nature and the chain of circumstances is so complete that there is no scope for any reasonable ground for a conclusion consistent with the innocence of accused. But in majority of such cases, the chain of circumstances is seldom complete. Further, the Police usually does not resort to scientific methods of investigation.

(iii) Non- appearance of witnesses in courts of Judicial Magistrates.

It has been observed that in a number of cases, the material witnesses fail to appear before the courts for want of service of summons upon them. This happens as sometimes, summons are not issued well in time as a result of which many a times, these are not served and if served, not received back after service due to paucity of time. In such a situation, the courts cannot adopt coercive methods to procure presence of witnesses even after their service.

Secondly, sometimes sincere efforts to effect service of summonses upon witnesses are not made by the summoning agency as a result of which cases are adjourned from time to time. Such type of cases remain pending in the courts for years together and ultimately evidence of prosecution is closed by order of the court and accused are acquitted for want of evidence.

Part 'B' pendency of criminal cases.

A perusal o figures given in Appendix "A" would also show that the number of cases which remained pending in various Sessions & Judicial Courts at the end of the year in the State was abnormally high in view of increase in criminal work. However, the percentage of conviction during the period under report in Session Courts is 39% and in Lower Courts 53% which shows that the performance of Prosecuting Agency has been satisfactory.

Part-C Vigilance measures

During the year 2016-2017 the following employees have been awarded punishment by adopting vigilance measures:-

1. No. of officers/official whose - 1(Dy. District Attorney)
Annual increments were withheld

2. No. of officer/official stopped - Nil
At Efficiency Bar

3. No. of officer Warned - 1 (District Attorney)

4. No. of officers/official placed - 2 (Assistant District Attorney)
Under suspension

5. No. of officers punished under - Nil
Censure

No officer/official of this Department has been caught red handed by the State Vigilance Bureau, Haryana during the period of report and no criminal case against any officer/official has been registered.





CONSOLIDATED STATEMENT OF CRIMINAL CASES PENDING/DISPOSED OFF BY THE SESSIONS COURTS DURING THE YEAR OF 2016-2017

TOTAL	APPEAL DISPOSED	ACT ACT	OTHER IPC CASES TRIED BY SESSION COURT	SC/ST CASES (TRIED BY SESSION COURT)	P:C.ACT	OFFENCE COMMITTED BY PUBLIC SERVANT	ABDUCTION/ KIDNAPPING FOR RANSOM	RAPE	DECOITY WITH MURDER	DECOITY/ ROBBERY	DOWRY DEATH	MURDER	OFFENCE		
9496	1045	1561	2713	276	313	493	139	782	15	641	215	1303	CASES PENDING AT THE BEGINNING OF THE YEAR		
9304	981	1099	3415	424	100	603	118	1072	3	481	200	808	CASES RECEIVED DURING THE YEAR		
448	23	20	174	-4	1	40	14	69	0	39	17	47	CASES WITH DRAWN DURING THE YEAR		
18352	2003	2640	5954	696	412	1056	243	1785	18	1083	398	2064	TOTAL NO. OF CASES FOR DISPOSAL		
6737	689	406	2336	304	130	351	100	895	14	514	192	806	TOTAL NO. OF CASES DISPOSED OFF DURING THE YEAR		
2025	276	355	541	48	45	46	15	180	7	73	51	388	TOTAL NO. OF C		
3232	324	27	1235	146	70	280	53	350	6	352	86	303	TOTAL NO. OF CASES ENDED IN ONVICTION ACQUITTAL ON MERIT ON MERIT		
1585	94	24	660	011	15	25	32	365	-	89	55	115	ACQUITTAL ON COMPROMISE STATEMENT OF THE ACCUESED HAS NOT BEEN RECORDED U/s 313		
39%	46%	93%	30%	25%	39%	14%	22%	34%	54%	17%	37%	56%	PERCENTAGE OF CONVICTION		
61%	54%	7%	70%	75%	61%	86%	78%	66%	46%	83%	63%	44%	PERCENTAGE OF ACQUITTAL		
11615	1314	2234	3618	392	282	705	143	890	4	569	206	1258	BA CA TH C		



CONSOLIDATED STATEMENT OF CRIMINAL CASES PENDING/DISPOSED OFF BY THE LOWER COURTS FOR THE YEAR 2016-17

119505	47%	53%	8366	21738	24317	54421	173926	4497	58274	. 120149	Total
2343	11%	89%	51	548	4407	5006	7349	70	4991	2428	ANY OTHER CASES TRIABLE BY THE LOWER COURTS
6859	64%	36%	106	1471	843	2420	9279	351	2682	6948	CASES UNDER ANY OTHER LOCAL ACT
2596	12%	88%	37	489	3426	3952	6548	27	4067	2508	GAMBELING ACT
8750	24%	76%	222	2397	7436	10055	18805	694	10274	9225	CASES UNDER EXCISE ACT
1500	60%	40%	11	187	124	322	1822	30	637	1215	CASES UNDER NDPS ACT
97457	67%	33%	7939	16646	8081	32666	130123	3325	35623	97825	IPC CASES
			U/s 313 Cr.P.C.	ACQUITTAL ON MERIT	CONVICTION ON MERIT	YEAR	DIDI ODIN	YEAR	YEAR	THE YEAR	
BALANCE CASES AT THE END OF THE YEAR	%OF ACQUITTAL	% OF CONVICTION	ACQUITTAL ON COMPROMISE STATEMENT OF THE ACCUESED HAS	SES ENDED IN	TOTAL NO. OF CASES ENDED IN	TOTAL NO. OF CASES DISPOSED OFF	TOTAL NO. OF CASES FOR	CASES WITH DRAWN DURING THE	CASES RECEIVED DURING THE	CASES PENDING AT THE	OFFENCE



ज्ञापन

कार्यकारी मंत्री

प्रशासकीय सचिव

मुख्यमंत्री, हरियाणा

अतिरिक्त मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार, न्याय प्रशासन विभाग।

विषय:-

अभियोजन विभाग की वार्षिक प्रशासनिक रिपोर्ट वर्ष 2016–17 इसकी समीक्षा तथा समालोचना सहित।

अभियोजन विभाग, हरियाणा की वर्ष 2016—17 की वार्षिक प्रशासनिक रिपोर्ट, समीक्षा तथा समालोचन सहित, मन्त्री परिषद के विचारार्थ तथा अनुमोदनार्थ के लिए प्रस्तुत की जाती है। अनुमोदन के पश्चात् समीक्षा को हरियाणा सरकार के राजपत्र में प्रकाशित करवा दिया जायेगा।

- 2. सरकार की हिदायते अशाः कमांक 16/22/2005—4पी०पी० दिनांक 04.05.2005 की अनुपालना में यह ज्ञापन मन्त्री परिषद के सम्मुख प्रस्तुत किया जाता है ।
- 3. इस मामले को मन्त्री परिषद के सम्मुख रखने हेतू माननीय मुख्यमन्त्री महोदय की पूर्व अनुमित प्राप्त कर ली गई है।

ann

दिनांक चण्डीगढ 28.12.2017 (एस०एस० प्रसाद) अतिरिक्त मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार, न्याय प्रशासन विभाग।



अभियोजन विभाग की वर्ष 2016-17की प्रशासनिक रिपोर्ट की समालोचना

अभियोजन निदेशालय राज्य में इस समय सभी अपराधिक केसों के अभियोजन का पर्यवेक्षण राज्य के विभिन्न जिलों में तैनात जिला न्यायवादियों तथा उनके अमले के कार्य पर नियंत्रण कर रहा है। अपराधिक केसों का सफल अभियोजन अनेक बातों पर निर्भर करता है, जिनमें कुछ अभियोजन विभाग (एजैन्सी) के वश से परे हैं। फिर भी अभियोजन विभाग उन सभी अपराधिक केसों के प्रभावपूर्ण अभियोजन को सुनिश्चित बनाने के सभी प्रयत्न कर रहा है, जो पुलिस द्वारा राज्य के विभिन्न न्यायालयों में दाखिल किये जाते हैं।

- 2. अभियोजन एजैन्सी और पुलिस विभाग के बीच ठीक समन्वय सुनिश्चित करने के लिए सम्बन्धित जिला के उपायुक्तों की अध्यक्षता में जिसके कि पुलिस अधीक्षक और जिला न्यायवादी सदस्य है एक कमेटी गठित की गई है। इस कमेटी की मीटिंग महीने में दो बार या इससे अधिक बार जब भी उचित समझा जाए की जानी निष्चित की गई है।
- 3. फौजदारी केसों के शीघ्र निपटान के लिए सरकार ने पूर्व गठित जिला स्तरीय अनुश्रवण कमेटी को भी पुनः परिवर्तित कर दिया है। इस कमेटी जिसके कि जिला एवं सत्र न्यायधीश अध्यक्ष हैं और जिसके कि जिला दण्डाधिकारी, मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी, पुलिस अधीक्षक, जिला न्यायवादी, जेल अधीक्षक, जेल परीवीक्षा अधिकारी सदस्य हैं, की मास में एक बार बैठक हुआ करेगी।

1601an -405/11%

ann

(एस० एस० प्रसाद) अतिरिक्त मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार, न्याय प्रशासन विभाग ।



1 अप्रैल 2016 से 31 मार्च 2017 की अविध के लिए अभियोजन विभाग, हरियाणा की प्रशासनिक

प्रस्तावना

अपराधिक प्रक्रिया संहिता, 1973 के कार्यरुप में आने के फलस्वरुप अभियोजन एजैंसी जोकि पुलिस विभाग के नियंत्रणाधीन थी, वर्ष 1974 के दौरान अलग हो गई । इसके फलस्वरुप अभियोजन निदेशालय 1.4.1974 को कार्यरुप में आ गया। सहायक जिला न्यायवादी (जिनकी पद संज्ञा अब उप जिला न्यायवादी है) और जिला न्यायवादी जोकि पहले विधायी विभाग के प्रशासकीय नियंत्रण में थे, अभियोजन निदेशालय के प्रशासकीय नियंत्रण में कर दिए गए। इसी प्रकार अभियोजन उप पुलिस अधीक्षक, अभियोजन निरीक्षक और अभियोजन उप निरीक्षण के काडर जोकि पुलिस विभाग के प्रशासकीय नियंत्रण में थे, समाप्त कर दिए गए और अभियोजन निदेशालय में कमशः जिला न्यायवादियों, अपर लोक अभियोजकों (अपचयन संवर्ग) और सहायक जिला न्यायवादियों ग्रेड—2 के रुप में समायोजित किए गए। इस प्रकार दिनांक 1.4.74 से अभियोजन निदेशालय ने अपना कार्य आरम्भ कर दिया।

स्थापना

विभाग का कार्यभार रिपोर्टाधीन अवधि के दौरान दिनांक 01.04.16 से 17.05.16 तक श्री पी.के. दास, भा०प्र0से0 एवं दिनांक 18.05.16 से 31.03.17 तक श्री राम निवास, भा०प्र0से0 गृह सचिव द्वारा सम्भाला गया ।

निदेशक, अभियोजन के कार्यालय का कार्यभार रिपोर्ट की अवधि के दौरान श्री नरशेर सिंह के पास रहा ।

अभियोजन निदेशालय विधि अधिकारियों के कॉडरज को नियंत्रित करता है, जिसमें राज्य के सभी जिला न्यायवादी, उप जिला न्यायवादी तथा सहायक जिला न्यायवादी सम्मिलित है जो न्यायालयों में अपराधिक तथा सिविल केस संचालित करते हैं तथा विभिन्न सरकारी विभागों को विधि मंत्रणा देते हैं।

सहायक जिला न्यायवादी / सहायक लोक अभियोजक, न्यायिक कोर्ट में अपने कार्य के अतिरिक्त कार्यकारी मैजिस्ट्रेटों के न्यायालयों में भी कार्य करते हैं।




दी गई तालिका विभिन्न जिला एवं सत्र न्यायधीशों, अपर न्यायाधीशों और अन्य न्यायिक अधिकारियों के न्यायालयों की संख्या और उसमें नियुक्त विधि अधिकारियों की 31.3.17 की संख्या को दर्शाती है जिन्होंने निधिन्न किया कि जिल्हा है जिल्हा है जिल्हा है जिल्हा है

व्यापादीशों की डिस्टेक्ट जुंगी कोर्ट्स की कोर्ट्स कि जिंद्स की कोर्ट्स की कोर्ट्स कि जिंद्स की कोर्ट्स की कोर्ट्स की कोर्ट्स कि जिंद्स की कोर्ट्स की कार्ट्स की कोर्ट्स की कोर्ट्स की कोर्ट्स की कोर्ट्स की कोर्ट्स की के कार्ट्स की कार्ट्स	कमांक	जिले का नाम	जिला एवं सत्र	एदिशनल	.मनिकार	कमांक जिले का नाम जिला एवं सत्र एदिशनल जिल्हा जिल्हा कि जा	-	
1. 3 4 5 6 1. असाला 1 4 13 1 नारायणान्त 0 0 2 0 0 विधान 1 5 8 1 0 विधान 0 0 4 0 0 विधान 0 0 1 0 0 प्रिवान 0 0 1 0 0 प्रिवान 0 0 1 0 0 प्रिवान 0 0 1 0 0 0 प्रिवान 0 0 1 0			म् संख्य	्राच्या १६। विस्टिक्ट की कोर्टस	णुष्याच्या कोर्ट्स संख्या		डप न्यायवादियों की संख्या	सहायक न्यायवादियों की संख्या
1. अंखाला 1 4 5 6 नारयणगड़ 0 0 2 0 वास्त्रणगड़ 0 0 2 0 वास्त्रण दादरी 0 0 4 0 वाहारु 0 0 1 0 0 वाहारु 0 0 1 0 0 प्रस्ता 1 7 18 1 0 प्रस्ता 0 0 1 0 0 प्रस्ता 1 3 4 1 0 प्रस्ता 0 0 0 0 0 0 प्रस्ता 0 0 0 1 0 0 प्रस्ता 0 0 0 0 0 0 प्रस्ता 0 0 0 0 0 0 प्रस्ता 0 0 0 0 0 0 प्रस्ता 0<				सख्या				
1.		2	3	4	5	9	7	c
विवानी 0 0 2 0 विवानी 1 5 8 1 वर्षेक्षानी 0 0 4 0 लोहारक 0 0 1 0 लोहारा 1 3 4 1 0 प्रदेशाव 1 3 4 1 0 प्रदेशाव 1 8 20 1 0 प्रदेश 0 0 0 1 0 0 प्रदेश 0 0 3 0 0 0 0 अंत्रा 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	- '	अम्बाला	1	4	13	, -	- 3	7 00
2 मिवानी 1 5 8 1 6 व्यंख्यी दावदी 0 0 4 0 0 लोहाक 0 0 1 0 0 तिशान 0 0 1 0 0 तोशान 0 0 1 0 0 तोशान 1 3 4 1 0 प्रशान 1 3 4 1 0 प्रशान 1 8 20 0 0 प्रशान 0 0 3 0 0 प्रशान 0 0 3 0 0 प्रशान 0 0 4 0 0 शासी 0 0 4 0 0 प्रशान 0 0 4 0 0 प्रशान 0 0 0 0 0 0 शास 0 0		नारायणगढ	0	0	2	1		
बारखी दादरी 0 0 4 0 लोहारक 0 0 1 0 लोशाम 0 0 1 0 लोशाम 0 0 1 0 लोशाम 0 0 1 0 प्रकारवाद 1 3 4 1 1 प्रकारवाद 1 3 4 1 0 प्रकारवाद 1 8 20 1 0 प्रदेश 0 0 3 0 0 प्रदेश 0 0 3 0 0 इस्प्रप् 1 6 10 0 0 इस्प्रप 1 6 1 4 0 वहादुरगढ़ 1 5 5 1 4 प्रवाद 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	2	मिवानी	-	5	1 ∞	- 0	0	0
लीहारु 0 0 1 0 सिवानी 0 0 1 0 वोशाम 0 0 1 0 प्रदेशान 1 3 4 1 प्रदेशान 1 3 4 1 प्रदेशान 0 0 0 0 प्रदेशान 0 0 0 0 प्रदेशान 0 0 0 0 प्रदेश 0 0 0 0		चरखी दादरी	0	0	0 4		4 <	9
स्वानी 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0		लोहारु	0	0			0	3
क्रीदाबाद 0 0 1 0 प्रभीदाबाद 1 3 4 1 प्रभीदाबाद 1 3 4 1 टोहाना 0 0 2 0 प्रतिया 0 0 1 0 प्रतिया 0 0 1 0 प्रतिया 0 0 3 0 0 प्रतिया 0 0 3 0		सिवानी	0	0	T NEW T	0	0	0
प्रभीदाबाद 1 7 18 1 प्रमेहाबाद 1 3 4 1 टोहाना 0 0 2 0 प्रदेशनाव 1 8 20 1 प्रदेशनाव 1 8 20 1 पटौदी 0 0 3 0 संहना 0 0 3 0 हिसार 1 6 10 1 हांसी 0 0 4 0 0 बहांदुरगढ़ 0 0 4 0 0 गींद 1 5 5 1 4 मरवाना 0 0 3 0 0 सफीदो 0 0 3 0 0 सफीदो 0 0 3 0 0	,	तोशाम	0	0	7	0	0	-
फर्तहाबाद 1 3 4 1 1 1 1 1 1 1 1 1	3	फरीदाबाद		7	10	.	0 1	•
टोहाना 0 0 0 2 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1 0	4	फतेहाबाद	1	· ·	10		9	. 12
प्रतिया 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 1 8 20 1 1 0 0 1 1 0 0 3 0 0 3 0 0 1 0 1 0 1		टोहाना	0	0	+ 0	1		5
गुड़गांव 1 8 20 1 पटौदी 0 0 3 0 संहिता 0 0 3 0 हिंसार 1 6 10 1 हांसी 0 0 4 0 झाज्जर 1 6 6 1 बहादुरगढ़ 0 0 4 0 जींद 1 5 5 1 नरवाना 0 0 3 0 सफीदो 0 0 3 0		रतिया	0	0	1 -		0	0
पटौदी 0 0 20 1 सोहना 0 0 3 0 हिसार 1 6 10 1 हांसी 0 0 4 0 झाजार 1 6 6 1 बहादुरगढ़ 0 0 4 0 जीद 1 5 5 1 नरवाना 0 0 3 0 0 सफीदो 0 0 3 0 0	5	गुङ्गांव		0			0	
स्रोहना 0 3 0 0 सेहिना 0 3 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0		uzizh	- 0	0	07	-	5	20
हिसार 1 6 10 10 1 1 6 10 10 1 1 10 1 1 10 1 1 1 1		मोहना	0	0	3	0	. 0	2
हांसी 0 0 0 4 0 0 5 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1	9	हिसार	0	0	0	0	0	0
हासी 0 0 4 0 0 8 वहाड्या				9	10	1	9	y
ह्मज्जर 1 6 6 1 बहादुरगढ़ 0 0 4 0 जींद 1 5 5 1 नरवाना 0 0 3 0 0	*	हासी	0	0	4			0 ,
बहादुरगढ़ 0 0 4 0 0 जीद	7	झण्जर	1	9	9)		4
जींद 1 5 5 1 नरवाना 0 0 3 0		बहादुरगढ़	0	0	4	Ţ	1 0	2
0 0 3 0		जींद	1	5	. 5	0 -	0 4	
		नरवाना	0	0	cr	0	+ 0	3
		सफीदों	0	0	2			7



		8		1	5	0	7	2	0	4			C	4	2	0	\$	2	01			0				2	7	1	7	1	0
	0				S.	0	3	0	0	1	C	O	5	. 0		0	3	0	4	0	4	0	0				9	0	3	0	0
	13	2 0	1 0	8					0 7	1	4		0 1	4 0	1	5		0		0	6 1	2 0	3 0	8. 1	1 0	6					0 7
	6	0	0	3	0	4	0	0	7	- (O	5	0		0	3	0	2 4			0	=	0	2	0	8	0	5	0	0	
करनाल ।					0.	पुरुष्टात्र ।	0	शाहबाद 0	मेवात (नूह)	फिरोजपुर		<u>।</u>	0		0		0	त 1	खा 0				0 0				0	1	0	0	
6	कि	डन्द्री	10 恭	गहला	7	7.0	Ibak I		12 मेवात	 		13 नारनील	महेन्द्रगढ़	किन्ति	14 0-17-6			15 पानीपत	समालखा	16 पलवल	हिथिन	होडल	17 रेवाड़ी	कोसली	18 रोहतक	HETT		। अ	डबवाली	एलनाबाद	







भाग-बी- विभिन्न विभागों में लीगल कक्षों में नियुक्त विधि अधिकारी

अभियोजन निदेशालय विभिन्न विभागों में विधि कार्यों के निपटाने हेतू विभिन्न विभागों के विधि कसों में नियुक्त विधि अधिकारियों के संवर्ग को भी नियंत्रित करता है।

विभिन्न विभागों में नियुक्त विधि अधिकारियों का विवरण निम्न प्रकार से है:-

- 1. जिला न्यायवादी 3
- 2. उप जिला न्यायवादी 72
- 3. सहायक जिला न्यायवादी 99

इस निदेशालय के कुछ विधि अधिकारी विभिन्न निगमों / बोर्डों आदि में प्रतिनियुक्ति पर भेजे गए।

अपराधिक केसों का निपटान

भाग- क ' कुल केस

जिला स्तर पर नियुक्त विधि अधिकारियों ने सत्र एवं न्यायिक न्यायाधीशों के न्यायालयों में किमीनल केसों का संचालन एवं अभियोजन किया। रिपोर्टाधीन अवधि के दौरान विधि अधिकारियों द्वारा किमीनल केसों के प्रचालन एवं अभियोजन की कुल संख्या विवरण परिशिष्ट—क में दी गई है।

(i) गवाहों का अपने ब्यानों से फिर जाना

अधिकतर केसों में दोषियों के बरी होने के कारणों में से एक मुख्य कारण महत्वपूर्ण गवाहों का केस में मुकदमे के दौरान अपने पूर्व के ब्यानों से मुकरना है। इसके अतिरिक्त कुछ केसों में सभी नहीं लेकिन कुछ महत्वपूर्ण गवाह अपने पहले दिए ब्यानों से मुकर जाते हैं, जो अभियोजन केसों में एक गम्भीर कमी डालते हैं, जिस कारण ऐसे अधिकतर केसों में दोषी बरी हो जाते हैं।

(ii) केसों में जॉच का स्तर निम्न होना

किसी केस में दोषियों को सजा करवाने के लिए अभियोजन पक्ष को अपना केस सन्देह के दायरे से बाहर सिद्ध करना होता है। लोक अभियोजक को केस लड़ने के लिए गहन जॉच और विश्वासनीय गवाही उपलब्ध करवाना जॉच एजैन्सी की जिम्मेवारी होती है, जबिक प्राय: यह पाया जाता है कि अधिकतर केसों में जॉच एजैन्सी दोषी को जुर्म से जोड़ने के लिए पर्याप्त एवं ठोस साक्ष्य एकत्रित करने में असफल रहती है। काफी केसों में प्याप्त अवसर होने के बावजूद पुलिस निष्पक्ष गवाहों को रिकवरी की जॉच में शामिल नहीं करती, जो न्यायालय को सन्देह पैदा करता है। इसी प्रकार परिस्थितियों पर आधारित गवाही के केसों में अभियोजन को अपने केस में परिस्थितियों को पूरी तरह इस प्रकार सिद्ध करना होता है कि जिससे दोष का निष्कर्ष इस प्रकार निकाले कि सभी तथ्य इस प्रकार सिद्ध होते हों जिससे दोष का अनुमान लगाया जा सके और जो अनुमान सिद्ध किया जाना है उससे अन्यथा अनुमान न लगाया जा सके । इसके अतिरिक्त परिस्थितियों, जिन पर विश्वास किया गया है निर्णायक हों और परिस्थितियों की कड़ी इस प्रकार पूरी हो, जिससे दोशी के दोषमुक्त होने का प्राप्य आधार ना बनता हो, परन्तु अधिकतर केसों में परिस्थितियों की कड़ी कभी ही पूरी होती है। इसके अतिरिक्त पुलिस आमतौर पर जॉच के वैज्ञानिक तरीकों का उपयोग नहीं करती।

(iii) न्यायिक दण्डाधिकारियों के न्यायालय में गवाहों का उपस्थित न होना

काफी संख्या में केसों में यह देखा गया है कि महत्वपूर्ण गवाह उन्हें सम्मन प्राप्त न होने के कारण न्यायालय में उपस्थित नहीं होता। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि कई बार सम्मन समय पर जारी नहीं हो पाते, जिस कारण कई बार यह तामिल नहीं हो पाते और यदि तामिल हो जाए तो समय के अभाव के कारण वापिस नहीं पहुंचते, ऐसी परिस्थिति में न्यायालय सम्मन के तामिल होने के उपरान्त भी गवाहियों हेतू उपस्थिति सुनिश्चित करने हेतू ठोस तरीका नहीं अपना सकती। दूसरे कई बार गवाहों पर सम्मन की तामिल करने के लिए summoning agency द्वारा वास्तविक प्रयत्न नहीं किए जाते, जिस कारण केस समय—समय पर स्थगित किए जाते हैं। इस प्रकार के केस कई सालों तक न्यायालयों में लम्बित रहते हैं और आखिरकार अभियोजन पक्ष की गवाही न्यायालय के आदेश से बन्द हो जाती है और प्रायः गवाही न होने के कारण दोशी बरी हो जाते हैं।

भाग 'ख' किमीनल केसों का लम्बित होना

परिषिष्ट 'ख' में दिये गये आंकड़ों के विवरण से यह स्पष्ट है कि वर्ष के अन्त तक लोअर कोर्ट्स में केस किमीनल कार्य में अधिकता के कारण काफी मात्रा में लिम्बत रहे फिर भी इस अविध में सैशन कोर्ट्स में 39 प्रतिशत तथा लोअर कोर्ट्स में 53 प्रतिशत की दर से केसों में सजा करवाई गई।

भाग 'ग' चौकसी से सम्बन्धित कार्यवाही

वर्ष 2016—17के दौरान चौकसी से सम्बन्धित विभागों द्वारा अपनाए गए तरीकों के अन्तर्गत निम्नानुसार अधिकारियों / कर्मचारियों को सजाएं दी गई:-

1. जितने अधिकारियों / कर्मचारियों की वार्षिक वेतन वृद्धियां रोकी गई ।

01 (उप जिला न्यायवादी)

2. जितने अधिकारियों / कर्मचारियों की दक्षतारोध पर रोका गया ।

शून्य

3. जितने अधिकारियों को चेतावनी दी गई ।

01 (जिला न्यायवादी)

 निलम्बित किए गए कर्मचारियों की संख्या

02 (सहायक जिला न्यायवादी)

5. Censure आदि की दी गई सजा बारे।

शून्य

रिपोर्टाधीन अवधि में राज्य चौकसी ब्यूरो द्वारा विभाग कें किसी अधिकारी/कर्मचारी को रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों नही पकड़ा गया है और न ही किसी अधिकारी/कर्मचारी के विरूद्ध रिपोर्टाधीन अवधि में कोई अपराधिक मुकद्दमा दर्ज किया गया है।

39

वार्षिक प्रशासनिक रिपोर्ट ऑफ किमीनल केसिज 2016-17सैशन कोर्टस

ė.		वर्ष के अन्त में लिखित केसों की संख्या		12	1258	206	569	4	890	143		/05	282	392
		प्रक्षिटल की प्रतिशतता		11	44%	63%	83%	46%	%99	78%	7070	0000	%19	75%
		की प्रतिशतता		10	26%	37%	17%	54%	34%	22%	14%		39%	25%
न कोर्टन		किसों में धारा 313 अन्तर्गत ध्यान वर्ज लहीं हुए समझौते के कारण करें हुए	सख्या	0	115	55	68	1.	200	32	25		.15	110
म क्यांगल कासज 2016-17सेशन कोर्टस	9	श्रेम् के संख्या संख्या		200	303	353	766	350		53	280		//0	146 .
जिमाक छ		में के संख्या के संख्या	7	388	200	73	7	180	;	2	46	45	P	48
allast still		दौरान किए गए केसों की संख्या	9	806	192	514	14	895	1001	001	351	130		304
	4	के निर्	5	2064	398	1083	18	1785	243		1056	412	969	000
	-	दौरान विद्धा हुए केसों की संख्या	4	47	17	39	0	69	14		40		4	
		म् प्राप्त प्रमाय केसों संख्या	n	808	200	481	co .	1072	118		603	100	424	
	वर्ष के	भारमा तास्तित केसों संख्या	2	1303	215	641	502	78/	139	200	493	313	276	
	अपराध		केत्ल कम	दहेत सम्बद्धी मन्त्र नेन	डकती / लतमान केंग	डकीती में कत्त्व संस	बलात्कार के कंस	बहकाकर ले जाना / धन	के लिए उटा ले जाना	पब्लिक सर्वेन्ट द्वारा किए	पी०सी०एक्ट के वहत्व	केस	एस०सी०/एस०टी०केसिज	



वार्षिक प्रशासनिक रिपोर्ट ऑफ किमीनल केसिज 2016-17सैशन कोर्टस



361.8	223.4	1314	116 = 5
70%	7%	. 54%	61%
30%	93%	46%	39%
099	24	94	1585
1235	72	324	3232
541	355	276	2025
2336	406	689	6737
5954	2640	2003	18352
174	20	23	448
3415	1099	186	9304
2713	1561	1045	9496
भारतीय दण्ड संहिता के अन्तर्गत दर्ज किए गए केस	एन0डी0पी0एस के तहत केस दर्ज	सैषन कोर्ट द्वारा डिस्पोज की गई अपीलें एक्साईज एक्ट, ई०सी०एक्ट,इनसैक्टेसाईड एक्ट	कुल

